

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रियंका कडेला आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर -65/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मोहनी पुत्री गोकल
2. रामकन्या पुत्री गोकल जाति बैरवा निवासी गढ़ी का बैरवा

-प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

-अप्रार्थी

वकील प्रार्थीया- श्री विजयसिंह गुर्जर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 29.4.26

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 367 रकबा 0.19 है०, 368 रकबा 0.02 है०, 369 रकबा 0.35 है०, 370 रकबा 0.10 है०, 371 रकबा 0.29 है०, 372 रकबा 0.18 है० कुल किता 06 कुल रकबा 1.13 है० जिनका नया खाता संख्या 113 व पुराना खाता संख्या 113 है, स्थित ग्राम गढ़ी का बैरवा तहसील बरनाला है प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने सुरक्षा हेतु मिट्टी की डोलमेड बनाई हुई है। बरसातो में डोलमेड के नष्ट हो जाने के कारण आसपास के काश्तकारों से आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान कृषि भूमि है इस कारण आसपास के पड़ोसी सीमा को लेकर काश्त के समय विवाद करते हैं तथा प्रार्थी को परेशान करते हैं प्रार्थी सीधा सादा गरीब कृषक है, तथा इसी का फायदा उठाकर आसपास के पड़ोसी कृषक प्रार्थी की भूमि को दबाने को उतारू है जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस पर प्रार्थी ने माननीय तहसीलदार साहब बरनाला के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर सीमाज्ञान करवाने बाबत् निवेदन किया जिसका दिनांक 06.06.2025 को मौके पर जाकर भूमि का सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.06.2025 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से प्रार्थीगण की भूमि की पत्थर गढ़ी बाबत् निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हमे कोर्ट से आदेश लेकर आओ तभी तुम्हारा काम होगा इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिससे किसी दिगर व्यक्ति का कोई सरोकार या वास्ता नहीं है किन्तु उसके बावजूद भी आस पास के लोग प्रार्थी के सीधे सादे गरीब कृषक होने के कारण परेशान कर रहे हैं इस कारण न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी की जावे ताकि भविष्य में विवाद से बचा जा सके व प्रार्थीगण की भूमि की रक्षा हो सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त आराजी हाल खसरा नम्बर 367 रकबा 0.19 है०, 368 रकबा 0.02 है०, 369 रकबा 0.35 है०, 370 रकबा 0.10 है०, 371 रकबा 0.29 है०, 372 रकबा 0.18 है० कुल किता 06 कुल रकबा 1.

Bainv
उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०गा०)

13 है0 जिनका नया खाता संख्या 113 व पुराना खाता संख्या 113 है, स्थित ग्राम गढ़ी का बैरवा तहसील बरनाला की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की ओर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम गढ़ीका बैरवा पटवार मण्डल सुमेल भूअ.निरीक्षक क्षेत्र बैराड़ा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 367 रकबा 0.19 है0, 368 रकबा 0.02 है0, 369 रकबा 0.35 है0, 370 रकबा 0.10 है0, 371 रकबा 0.29 है0, 372 रकबा 0.18 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.13 है0 जिनका नया खाता संख्या 113 व पुराना खाता संख्या 113 है, स्थित ग्राम गढ़ी का बैरवा तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम गढ़ीका बैरवा पटवार मण्डल सुमेल भूअ.निरीक्षक क्षेत्र बैराड़ा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 367 रकबा 0.19 है0, 368 रकबा 0.02 है0, 369 रकबा 0.35 है0, 370 रकबा 0.10 है0, 371 रकबा 0.29 है0, 372 रकबा 0.18 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.13 है0 जिनका नया खाता संख्या 113 व पुराना खाता संख्या 113 है, स्थित ग्राम गढ़ी का बैरवा तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू0अ0 निरीक्षक बैराड़ा को 1000/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढ़ी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0 निरीक्षक बैराड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.4.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(प्रियंका कक्केलकर)
उपजिला क्लर्क
उपखण्ड अधिष्ठाता
वामनवास(सवाई माधोपुर)